...ायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

...रण सं0 214/2017 दायर दिनांकः– 18–10–2017

...दमाराम पुत्र श्री सुखराम जाति मेघवाल साकिन 7 एल सी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर राज0

––––– वादी

बनाम

1–मोतीराम पुत्र श्री लिखमाराम (फौत)

1/1–संजयकुमार पुत्र
1/2– हेतराम पुत्र
1/3–चावलीदेवी पुत्री
} श्री मोतीराम जाति मेघवाल साकिनान 11 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

3– उप पंजियक महोदय सूरतगढ

4– शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ पटियाला वर्तमान एस बी आई शाखा जैतसर ।

––– प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1–श्री राजवीर भादू , अंजनी कुमार चोटिया अभिभाषक वादी

2– श्री आनन्द कुमार स्वामी एडवोकेट प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/3

3– पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ ।

:–: निर्णय :–: दिनांक :– 05.01.2024

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण पक्षकारान एवं पैरोकार राज उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के सक्षैप तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी न0 1 के नाम से वाके चक 11 एस डी तहसील सूरतगढ के जमाबन्दी सम्वत 2068 –2071 के खाता सं0 58/99 के प0 न0 113/388 मु0 न0 1 के किला न0 3/2 में 0.246 है0 , 8/2 में 0.246 है0, 13/2 में 0.2467 है0 कुल तादादी 0.738है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रतिवादी न0 1 द्वारा अपने नाम से अंकित उक्त भूमि में से भूमि वाके चक 11 एस डी के प0 न0 113/388 मु0 न0 1 के किला न0 3/2 में 0.025 है0 कमाण्ड उतरी पासा को जरिये रजिस्टर्ड बैयनांमा दिनांक 18–10–2013 को रोबरू गवाहान के बिल मुक्ता 50,000/–रूप्ये अखरे पचास हजार रूपये में बैय कर दी एवं तमाम प्रतिफल प्राप्त कर बैयनांमा वादी के पक्ष में करवा दिया एवं कब्जा भूमि का मौका पर मय पानी संभलवा दिया गया उक्त बैयनांमा सब रजिस्ट्रार सूरतगढ से तहरीर किया जाकर पंजीबद्ध किया गया था । वादी उक्त बैयनांमा के आधार पर वाद–अन्ताति भूमि का खातेदार कृषक है। प्रतिवादी न0 1 का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी न0 1 के प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 कुल तीन जायज वारिस है । प्रतिवादी न0 1 के देहान्त के बाद प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 के मन में प्रतिवादी न0 1 के देहान्त के बाद बदयान्ति आ गई है । वादी को खरीद शुदा जैरवाद भूमि प्रतिवादी न0 1 ने जरिये बैयनांमा बेचान किया जा चुका है ऐसी अवस्था में प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 का उक्त बेची गई भूमि पर किसी प्रकार का कानूनी हक/कानुनन अधिकार नही रहा है व ना ही मौका पर उसका कब्जा काश्त रहा है मात्र राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी न0 1 का नाम अंकित व जैरवाद रकबा रहन होने के कारण वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही होने के फलस्वरूप प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 वाद अन्ताति भूमि को बेचान करने को आमादा है जबकि उसे जमीन बेचने का कोई अधिकार नही रहा है । अब यदि प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 के द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया गया तो वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा । वादी दिनांक 15–10–2017 को अपने खेत में काम कर रहा था तो प्रतिवादी न0 1/1 वादी के पासा आया व ऐलानिया कहां की राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि मेरे पिता के नाम से दर्ज है जिसे विरास्तन इन्तकाल दर्ज करवा कर उक्त भूमि का बेचान करेगें। जब वादी द्वारा ऐसा कृत्य करने से रोका व कहां की यह भूमि मुझे जरिये बैयनांमा आपके पिता मोतीराम द्वारा बेचान की जा चुकी है । तो प्रतिवादी न0 1/1 ने ऐलानिया धमकी दी की ये भूमि मेरे पिता के नाम है आपके नाम से दर्ज नही हुई है वह उक्त भूमि बेचान करेगा । इसलिए वादी घोषणात्मक वाद के साथ चिरस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर जैरवाद रकबा का खातेदार कृषक घोषित करने का निवेदन किया ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण एवं रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/3 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुये । पेरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपस्थित हुये तथा प्रतिवादी सं0 3व 4 को विधिवत तामिल करवाई गई । तथा प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/3 ने जबाब दावा मय प्रतिवाद-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी न0 1 को रूपयो की आवश्यकता नही थी और न ही उन्होने अपनी भूमि बैय की है । वादी के प्रतिवादी न0 1 चाचा ससूर है । प्रतिवादी न0 1 की बिमारी का फायदा उठाकर धौखाधड़ी से बैयनांमा अपने नाम निष्पादित करवा लिया है । प्रतिवादी न0 1 वर्ष 2009 में दृष्टिहीन हो गये थे । तथा उनकी दृष्टि वापिस आना असंभव हो गया था । जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया । प्रतिवादी न0 1 विकलांग था जिसका राज्य सरकार के द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया है । प्रतिवादी नं0 1 से धौखाधड़ी से रजिस्टर्ड बैयनांमा के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को किसी प्रकार का कोई आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नही है । उसके सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार है । वादी ने वर्ष 2013 में पंजिकृत बैयनांमा करवाने के पश्चात नामान्तरण इते वर्ष नही करवाया गया है और न ही कब्जा लिया गया है । इसलिए वादी का वाद-पत्र निराधार एव क्षैत्राधिकार वहीन होने के कारण निरस्त योग्य है । वादी के अभिभाषक के द्वारा जबाबुल जबाब तथा प्रतिवाद-पत्र जबाब प्रस्तुत करते हुये बताया कि प्रतिवादी नं0 1 ने पूर्णप्रतिफल राशि प्राप्त कर बैयनांमा करवाया गया है । तथा प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/3 द्वारा मिथ्या कथन कर प्रतिवादी न01 को दृष्टिहीन बताया जा रहा है । तथा वादी के पक्ष में पंजिकृत बैयनांमा किसी भी न्यायालय द्वारा कैन्सिल नही करवाया गया । तथा वादी के द्वारा जैरवाद रकबा का खातेदार कृषक होने का अनुतोष मांगा गया है जो राजस्व नेचर का होने के कारण श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है । इसलिए वादी अपने हक व अधिकारो की घोषणा करवाने का कानूनन हकदार है ।

प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/3 के अभिभाषक के द्वारा वाद-पत्र में प्रतिवादी साक्ष्य के दौरान आदेश 8 नियम 1-2 सी पी सी का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर बताया कि हमारे पिता बैयनांमा के वक्त नैत्र हीन तथा विकलांग थे । डॉक्टर की पर्ची की चित्रप्रति प्रस्तुत कर पत्रावली में शामिल करने का निवेदन किया जिस पर वादी के अभिभाषक द्वारा आपत्ति करते हुये बताया कि प्रतिवादी साक्ष्य के दौरान किसी प्रकार के दस्तावैज प्रस्तुत नही कर सकता । उसके तनकीयात या उससे पूर्व प्रस्तुत करने थे । तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त दस्तावैज की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है जो पत्रावली में शामिल योग्य नही है । जिस पर दोनो पक्षो को सुनने के पश्चात दिनांक 18-05-2023 को प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आदेश 8 नियम 1-2 सी पी सी का प्रार्थना-पत्र चित्रप्रतियो को रिकार्ड पर नही लिया जा सकता के आधार पर निरस्त कर दिया गया ।

प्रतिवादी सं0 1 /1 ता 1/3 का जबाब दावा मय प्रतिवाद-पत्र आने के पश्चात तनकीयात कायम होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/3 द्वारा साक्ष्य करवाये गये । तनकीयान निम्न प्रकार से है :-

1-आया कि प्रतिवादी न0 1 के नाम वाके चक 11 एस डी की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता सं0 58/59 के प0न0 113/388 में 0.738 है0 कमाण्ड राजस्व रिकार्ड दर्ज है ? --- वादी

2- आया कि प्रतिवादी न0 1 ने चक 11 एस डी के प0न0 113/388 मु0न0 1 के किला नं0 3/2 में 0.025 है0 कमाण्ड उतर पासा जरिये बैयनांमा वादी के पक्ष मे पंजीकृत करवाया गया है? --- वादी

3- आया कि वादी जरिये बैयनांमा खातेदार कृषक घोषित करवाने का कानूनन हकदार है? ---वादी

4- आया कि वादी की खरीद शुदा रकबा वाके चक 11 एस डी के प0न0 113/388 मु0न0 1 के किला न0 3/2 में 0.025 है0 कमाण्ड उतर पासा भूमि में प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/3 दखलन्दाजी न करने हेतू निषेधाज्ञा पाने का कानूनी हकदार है? ---वादी

5-आया कि प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 पिता/ पति से धौखाधडी से वादी ने बैयनांमा अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया गया है? --- प्रतिवादीगण

6-आया कि वादी के पक्ष में तस्दीक बैयनांमा पारिवारिक सदस्यों की सहमति/ हस्ताक्षर के बिना बैयनांमा शुरू से ही शुन्य है ? --- प्रतिवादीगण

7- अनुतोष

इसके पश्चात वादी के अभिभाषक , प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/3 के अभिभाषक एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी न0 1 के नाम से वाके चक 11 एस डी तहसील सूरतगढ के जमाबन्दी सम्वत 2068 -2071 के खाता सं0 58/99 के प0 न0 113/388 मु0 न0 1 के किला न0 3/2 में 0.246 है0 , 8/2 में 0.246 है0, 13/2 में 0.2467 है0 कुल तादादी 0.738है0 कमाण्ड भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रतिवादी न0 1 द्वारा अपने नाम से अंकित उक्त भूमि में से भूमि वाके चक 11 एस डी के प0 न0 113/388 मु0 न0 1 के किला न0 3/2 में 0.025 है0 कमाण्ड उतरी पासा को जरिये रजिस्टर्ड बैयनांमा दिनांक 18-10-2013 को

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

रोबरू गवाहान के बिल मुक्ता 50,000/–रूप्ये अखरे पचास हजार रूपये में बैय कर दी एवं तमाम प्रतिफल प्राप्त कर बैयनांमा वादी के पक्ष में सब रजिस्ट्रार सूरतगढ से तहरीर किया जाकर पंजीबद्ध किया गया था। जैरवाद भूमि का कब्जा मौका पर मय पानी संभलवा दिया गया। वादी उक्त बैयनांमा के आधार पर वाद–अन्ताति भूमि का खातेदार कृषक है। प्रतिवादी न0 1 का देहान्त हो चुका है। प्रतिवादी न0 1 के प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 कुल तीन जायज वारिस है । प्रतिवादी न0 1 के देहान्त के बाद प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 के मन में प्रतिवादी न0 1 के देहान्त के बाद बदयान्ति आ गई है । जैरवाद रकबा पर प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 का किसी प्रकार का कानूनी हक/कानुनन अधिकार नही रहा है व ना ही मौका पर उसका कब्जा काश्त रहा है। मात्र राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी न0 1 का नाम अंकित व जैरवाद रकबा रहन होने के कारण वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही होने के फलस्वरूप प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 वाद अन्ताति भूमि को बेचान करने को आमादा है । वादी के अभिभाषक द्वारा अतिरिक्त कथन करते हुये बताया कि प्रतिवादी नं0 1 ने पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर बैयनांमा करवाया गया है। तथा प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/3 द्वारा मिथ्या कथन कर प्रतिवादी न0 1 को दृष्टिहीन बताया जा रहा है । तथा वादी के पक्ष में पंजिकृत बैयनांमा किसी भी न्यायालय द्वारा कैन्सिल नही करवाया गया । तथा वादी के द्वारा जैरवाद रकबा का खातेदार कृषक होने का अनुतोष मांगा गया है जो राजस्व नेचर का होने के कारण श्रीमान न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है । इसलिए वादी अपने हक व अधिकारो की घोषणा करवाने का कानूनन हकदार है ।

प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/3 के अभिभाषक ने जबाब दावा एव प्रतिवाद–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी न0 1 को रूपयो की आवश्यकता नही थी और न ही उन्होने अपनी भूमि बैय की है । वादी के प्रतिवादी न0 1 चाचा ससूर है । प्रतिवादी न0 1 की बिमारी का फायदा उठाकर धौखाधड़ी से बैयनांमा अपने नाम निष्पादित करवा लिया है । प्रतिवादी न0 1 वर्ष 2009 में दृष्टिहीन हो गये थे । तथा उनकी दृष्टि वापिस आना असंभव हो गया था । जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया । प्रतिवादी न0 1 विकलांग था जिसका राज्य सरकार के द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है । प्रतिवादी न0 1 से धौखाधड़ी से रजिस्टर्ड बैयनांमा के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय को किसी प्रकार का कोई आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नही है । उसके सिविल न्यायालय का क्षैत्राधिकार है । वादी ने वर्ष 2013 में पंजिकृत बैयनांमा करवाने के पश्चात नामान्तरण इते वर्ष नही करवाया गया है और न ही कब्जा लिया गया है । इसलिए वादी का वाद–पत्र निराधार एव क्षैत्राधिकार वहीन होने के कारण निरस्त फरमाया जावे ।

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के उपरान्त तर्को के परिपेक्ष्य में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व मनन किया गया विस्तुत विवेचन तनकीवार निम्न प्रकार से है :–

1–आया कि प्रतिवादी न0 1 के नाम वाके चक 11 एस डी की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता सं0 58/59 के प0न0 113/388 में 0.738 है0 कमाण्ड राजस्व रिकार्ड दर्ज है ?

<u>तनकी नं0 1–</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी के द्वारा प्रतिवादी के नाम वाके चक 11 एस डी की जमाबन्दी सम्वत 2068 ता 2071 के खाता सं0 58/59 के प0न0 113/388 में 0.738 है0 कमाण्ड राजस्व दर्ज है कि प्रमाणित जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है । जिससे यह सिद्ध होता है कि उक्त जैरवाद रकबा प्रतिवादी न0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है । तनकी न0 1 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

2– आया कि प्रतिवादी न0 1 ने चक 11 एस डी के प0न0 113/388 मु0न0 1 के किला नं0 3/2 में 0.025 है0 कमाण्ड उतर पासा जरिये बैयनांमा वादी के पक्ष मे पंजीकृत करवाया गया है?

<u>तनकी नं0 2–</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी ने वाद–पत्र के साथ बैयनांमा की चित्रप्रतिलिपी प्रस्तुत कि तथा दौरान साक्ष्य में असल बैयनांमा दिनांक 18–10–2023 प्रस्तुत कर प्रदर्श नम्बर डलवाये गये । जिसमें प्रतिवादी न0 1 के द्वारा उक्त जैरवाद रकबा 0.025 है0 भूमि उतर पासा का बेचान वादी के पक्ष में जरिये पंजिकृत बैयनांमा सब रजिस्टार सूरतगढ के समक्ष करवाया गया है । तथा प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 ने जबाब दावा मे उक्त बैयनांमा को धौखाधड़ी से होना बताया है इससे यह पूर्ण रूप से सिद्ध होता है कि प्रतिवादी न0 1 ने वादी के पक्ष में पंजिकृत बैयनांमा करवाया गया है । तनकी न0 2 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

3– आया कि वादी जरिये बैयनांमा खातेदार कृषक घोषित करवाने का कानूनन हकदार है?

<u>तनकी नं0 3–</u> इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी ने जरिये बैयनांमा प्रतिवादी न0 1 के नाम खातेदार भूमि में से जैरवाद भूमि 0.025 है0 उतर पासा खरीद की गई है । तथा बैयनांमा के वक्त से ही खरीददार को कास्तकारी अधिनियम के तहत समस्त हक व अधिकार समायोजित हो जाते है । तथा कास्तकारी अधिनियम की धारा 63 के तहत खातेदार कास्तकार के द्वारा अपने हको का हस्तान्तरण पंजियन

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

दस्तावैज से होने के पश्चात किसी प्रकार के कोई हक व अधिकार नही रह जाते है । इसलिए वादी खातेदार कास्तकार घोषित करवाने का कानूनन हकदार है । तनकी न0 3 बहक वादी निर्णित की जाती है।

4– आया कि वादी की खरीद शुदा रकबा वाके चक 11 एस डी के प0न0 113/388 मु0न0 1 के किला न0 3/2 में 0.025 है0 कमाण्ड उतर पासा भूमि में प्रतिवादी सं0 1/1 से 1/3 दखलन्दाजी न करने हेतू निषेधाज्ञा पाने का कानूनी हकदार है?

तनकी न0 4– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी ने प्रतिवादी न0 1 के नाम प्रमाणित दस्तावैज जमाबन्दी तथा प्रतिवादी न0 1 के द्वारा जैरवाद भूमित 0.025 है0 उतरपासा का बेचान का मूल दस्तावैज प्रस्तुत किया गया। जिसमें बैयनांमा की मद सख्या 2 में कब्जा दिया जा चुका है तथा मद संख्या 6 में उक्त भूमि मय हक हकूक हर दाखिला खारिजी पानी , खाला , रास्ता , दरख्तान के विक्रय की जा चुकी है । उक्त जैरवाद रकबा का वादी खातेदार कृषक हो गया है । तथा खातेदार कृषक के हक व अधिकारो में प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/3 को दखलन्दाजी करने का कतई अधिकार नही है । इसलिए वादी प्रतिवादी सं0 1/1 ता 1/3 को दखलन्दाजी करने हेतू निषेधाज्ञा पाने का कानूनी हकदार है । तनकी न0 4 बहक वादी निर्णित की जाती है।

5–आया कि प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 पिता/ पति से धौखाधड़ी से वादी ने बैयनांमा अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया गया है?

तनकी नं0 5– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था । प्रतिवादीगण के द्वारा वाद–पत्र में ऐसा कोई भी दस्तावैजी साक्ष्य तथा अन्य कोई दस्तावैज प्रस्तुत नही किये गये है । मात्र मौखिक कथनो के आधार पर उक्त बैयनांमा को धौखाधड़ी से होना बताया जा रहा है । पंजिकृत दस्तावैज को निरस्त करवाने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है जिस पर प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 कार्यवाही करने हेतू स्वतन्त्र है । प्रतिवादीगण के द्वारा जबाब में बैयनांमा होना स्वीकार किया है । इसलिए तनकी न0 5 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

6–आया कि वादी के पक्ष में तस्दीक बैयनांमा पारिवारिक सदस्यों की सहमति/ हस्ताक्षर के बिना बैयनांमा शुरू से ही शुन्य है ?

तनकी नं0 6– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था । उक्त जैरवाद रकबा प्रतिवादी न0 1 के नाम खातेदार कास्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड दर्ज था । खातेदार कास्तकार को अपने हक व हिस्सा को बेचान करने का पूर्ण अधिकार होता है । जिसमें किसी भी पारिवारिक सदस्य की सहमति लेने का कोई भी कानूनी प्रावधान नही है । अगर किसी प्रकार से प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 के हक व अधिकारो का हनन हुआ है तो वे सक्षम न्यायालय में चाराजोरी करने को स्वतन्त्र है । तथा प्रतिवादी न0 1 के द्वारा उक्त बैयनांमा वादी के पक्ष में सब रजिस्टार के समक्ष पंजिकृत करवाया गया है जो किसी भी कानूनी प्रावधान के तहत विधि विरूद्ध नही है । इसलिए तनकी न0 6 विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

इस प्रकार उक्त तनकीयों का बिन्दूवार निर्णित करने के पश्चात उक्त तनकी नं0 1 ता 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित होने तथा तनकी नं0 5–6 विरूद्ध प्रतिवादी नं0 1/1 ता 1/3 निर्णित होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 के नाम 0.025 है0 कमाण्ड उतरपासा भूमि कलमजन कर वादी के नाम खातेदार कृषक घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर **प्रतिवादी सं0 1 मोतीराम पुत्र श्री लिखमाराम के नाम से भूमि वाके चक 11 एस डी के प0 न0 113/388 मु0 न0 1 के किला न0 3/2 में 0.025 है0 कमाण्ड उतरी पासा खातेदारी भूमि कलमजन कर वादी पदमाराम पुत्र श्री सुखराम जाति मेघवाल साकिन 7 एल सी तहसील श्री विजयनगर के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है । तथा उक्त रकबा 0.025 है0 का रहन हटाकर प्रतिवादी स0 1 के अन्य रकबा में समायोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है ।** जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है । डिकी जारी हो । खर्चा पक्षकार अपना –2 वहन करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024... को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(संदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर
बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

पदमाराम पुत्र श्री सुखराम जाति मेघवाल साकिन 7 एल सी तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर राज0 ––––– वादी

बनाम

1–मोतीराम पुत्र श्री लिखमाराम (फौत)
1/1–संजयकुमार पुत्र
1/2– हेतराम पुत्र
1/3–चावलीदेवी पुत्री
} श्री मोतीराम जाति मेघवाल साकिनान 11 एस डी तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ
3– उप पंजियक महोदय सूरतगढ 4. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक आफ पटियाला, जैतसर (SBI) प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 209 आर. टी. ए. मुकदमा न0 214 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री राजवीर भादू, अंजनी कुमार चोटिया , प्रतिवादी न0 1/1 ता 1/3 के अभिभाषक आनन्द कुमार स्वामी एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है । वाद वादी निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

प्रतिवादी सं0 1 मोतीराम पुत्र श्री लिखमाराम के नाम से भूमि वाके चक 11 एस डी के प0 न0 113/388 मु0 न0 1 के किला न0 3/2 में 0.025 है0 कमाण्ड उतरी पासा खातेदारी भूमि कलमजन कर वादी पदमाराम पुत्र श्री सुखराम जाति मेघवाल साकिन 7 एल सी तहसील श्री विजयनगर के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है । तथा उक्त रकबा 0.025 है0 का रहन हटाकर प्रतिवादी स0 1 के अन्य रकबा में समायोजित किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है।

नोज ....×..................मुबलिग ......×.......बाबत ....×.............खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....×............फसदो की पालना......×........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 05.01.2024.... को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)